संख्या-2/2016/46/74-2016-22(ब)/2014

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उ0प्र0,
गोमती नगर, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग

लखनऊ दिनांक 08 फरवरी, 2016

विषय: अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-09-विद्युत देय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-635/सेरी0/लेखा0/आयो0/बजट/पुनर्विनियोग/2015-16 दिनांक 06 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-09 विद्युत देय में रू0 260 हजार (रूपया दो लाख साठ हजार मात्र) के पुनर्विनियोग किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अधीन किया जायेगा एवं व्यय निर्धारित मानक मद में किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार शासन/सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3- उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के विभागीय अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर -03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय के मद संख्या-03-मंहगाई भत्ता की सम्भावित बचतों से किया जायेगा तथा उसी अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-09-विद्युत देय के नामे डाला जायेगा। पुनर्विनियोग का विवरण निर्धारित प्रारूप-बी0एम0-09 (भाग-1) पर संलग्न है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/2016/46(1)/74-2015-तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(4) वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-1(बी0एम0-09 की तीन प्रतियां सहित)।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 (बी0एम0-09 की तीन प्रतियां सहित)।
(6) कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रेशम निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(7) गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in